

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 286 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 जुलाई 2016—आषाढ़ 27, शक 1938

आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-5/2014/32.— छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं; अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 5 का लोप किया जाये.
2. नियम 6 के उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़े जायें, अर्थात् :-

“(5) जहां किसी भू-भाग पर अनियमित निर्माण के नियमितिकरण में भूमि-उपयोग में परिवर्तन, चाहे वह आवासीय हो या गैर आवासीय, शामिल हो, वहां नियमितिकरण, अनियमित निर्माण के क्षेत्र, जिसको नियमित किया जा रहा है तथा जो प्रयोज्य खुली जगह से संबंधित हो, तक सीमित होगा; तदनुसार, भूमि के शेष भाग के संबंध में, भूमि-उपयोग परिवर्तित नहीं माने जायेंगे.

(6) अनियमित निर्माण का नियमितिकरण, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 78, 79-क एवं 79-ख के अनुपालन के अध्यधीन होगा.”
3. प्ररूप-एक तथा प्ररूप-दो के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“प्ररूप-एक  
( नियम 3 देखिए )

अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु आवेदन

प्रति,

सचिव,  
जिला नियमितिकरण प्राधिकारी

मैं, एतद्वारा, मेरे द्वारा किए गये/मेरे अधिवास के/मेरे स्वामित्व के, अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 5 के अधीन, यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ. मैं, अनधिकृत विकसित संपत्ति के पंजीकृत वास्तुविद्/इंजीनियर/प्लानर द्वारा तैयार मानचित्र, रेखाचित्र तथा फोटोग्राफ्स के साथ निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता हूँ.

1. आवेदक का नाम - .....
2. स्वामित्व संबंधी हक (स्व-प्रमाणित) - .....
3. भूमि का विवरण, राजस्व ग्राम (मोहल्ला) - .....

नगर निवेश योजना, सर्वे क्रमांक, प्लॉट नंबर/खसरा नंबर

4. भवन के चारों दिशाओं से लिये गए फोटोग्राफ 4 प्रतियों में - .....
5. क्या यह अनधिकृत विकास, अभिन्यास योजना/भवन योजना में सम्मिलित है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है यदि हां, तो उल्लेख करें -

(1) स्वीकृति आदेश क्रमांक .....

(2) स्वीकृति दिनांक .....

6. क्या अनधिकृत विकास, बिना अनुमोदन के निर्मित है या अनुक्रमांक 5 में ऊपर उल्लिखित मंजूरी के विपरीत है :

स. क्र.	नियमितिकरण के विषय	स्वीकृत अनुज्ञा अनुसार (कुल क्षेत्रफल)	बिना स्वीकृत विकास
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खुला स्थान		
2.	क्षेत्रतल अनुपात		
3.	भूमि-उपयोग में परिवर्तन		

7. रेनवाटर हार्वेस्टिंग/सौर ऊर्जा के प्रावधानों को सुनिश्चित किये जाने का विवरण .....
8. पार्किंग/आमोद-प्रमोद क्षेत्र या स्वच्छता सुविधा या अग्नि सुरक्षा मानकों .....  
के उल्लंघन का विवरण.

तारीख .....

स्थान .....

आवेदक के हस्ताक्षर  
(आवेदक का पूरा नाम एवं पता)

### घोषणापत्र

मैं/हम, एतद्वारा, यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा ऊपर दिये गये विवरण सही है और मैं/हम आपके द्वारा इस संबंध में अपेक्षित अन्य विवरण प्रस्तुत करूंगा/करेंगे.

तारीख .....

स्थान .....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर  
( पूरा नाम एवं पता)

प्ररूप-दो  
[ नियम 6 (1) देखिए ]

अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु मांग सूचना

प्रति,

श्री/श्रीमती.....

.....

यतः मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता का, प्रस्तुत आवेदन दिनांक ..... के आधार पर, यह मत है कि आपके द्वारा परिसर क्रमांक/ फ्लैट क्रमांक/उप भू-खण्ड क्रमांक ..... के संबंध में ग्राम ..... (मोहल्ला) के खसरा क्रमांक ..... पर भवन का अनधिकृत विकास किया गया है, स्वामित्व या अधिभोग में लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है,

सम्पत्ति का विवरण -

.....

अतएव, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसरण में, आप नीचे दिये गये विवरण अनुसार ऐसे अनधिकृत विकास के संबंध में शास्तिक राशि जमा करने के लिये दायी है, अर्थात् :-

स. क्र.	विवरण	प्रवर्ग	क्षेत्रफल वर्गमीटर	दर रु. वर्गमीटर में	कुल राशि रुपये में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	किया गया अनधिकृत निर्माण	1. अवासीय 2. गैर अवासीय 3. भूमि-उपयोग में परिवर्तन			

टीप :- प्रवर्ग जो लागू न हो काट दें.

यदि आप सुने जाने की वांछा रखते हैं तो आप इस सूचना के प्राप्त होने से एक मास की कालावधि के भीतर सुनवाई के लिए प्राधिकारी को लिख सकते हैं और उस तारीख को, जो दी जाए, अपने मामले, समस्त सुसंगत अभिलेखों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं.

तारीख .....

स्थान .....

सचिव,  
जिला नियमितिकरण प्राधिकारी  
जिला ....."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 7-5/2014/32 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-07-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur, the 18th July 2016

NOTIFICATION

No. F 7-5/2014/32.— In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikan Adhinyam, 2002 (No. 21 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikan Niyam, 2002, namely :-

AMENDMENT

In the said Rules,-

1. Rule 5 shall be omitted.
2. After sub-rule (4) of Rule 6, the following shall be added, namely :-
  - “(5) Where regularization of irregular construction on a piece of land involves change in land-use, whether residential or non-residential, the regularization shall be limited to the area of irregular construction, that is being regularized, and related applicable open space; accordingly land-use in respect of the remaining part of the land shall not be deemed to have been changed.
  - (6) Regularization of the irregular construction shall be subject to the compliance of Rule 78, 79-A and 79-B of the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984.”
3. For FORM-I and FORM-II, the following shall be substituted, namely :-

“FORM-I  
( See rule 3 )

**Application for Regularization of Unauthorized Development**

To,

Secretary,  
District Regularisation Authority,

I, hereby, submit this application for the regularization of unauthorized development carried out/domiciled/ owned by me, under Section 5 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikan Adhinyam, 2002 (No. 21 of 2002). I herewith, submit the following information along with the maps, drawings and photographs of the unauthorized developed property made by the registered Architect/Engineer/Planner.

1. Name of the Applicant - .....
2. Ownership Title. (self attested) - .....
3. Description of land, revenue village - .....
- Towns Planning Scheme, Survey No./  
Plot No./Khasra No.
4. 4 copies of photographs of building from all four sides. - .....
5. Whether this unauthorized development is included in the Layout plan/building plan and has been sanctioned by the competent authority, if yes, mention-
  - (1) Sanction order No. - .....
  - (2) Date of sanction - .....

6. Whether the unauthorized development is without any approval or in contravention to the sanction mentioned above in No. 5 follows :

S.No.	Concerning Regularization	According to the permission (Total area)	Development without permission (Total area)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Open space		
2.	Floor Area Ratio		
3.	Change in Land use		

7. Description of Provision of Rain Water Harvesting/solar energy .....
8. Description of contravention in case of parking/recreational space or sanitation facility or fire safety. ....

Date .....

Place .....

**Signature of the Applicant**  
(Full Name and Address)

**Declaration**

I/We, hereby, declare that the above information submitted by me/us, is correct and I/We shall submit any further information desired by you in this regard.

Date .....

Place .....

**Applicant's Name & Signature**  
(Full Name and Address)

FORM-II  
[ See rule 6 (1) ]

**Demand Notice for Regularization of Unauthorized Development**

To,

Shri/Shrimati .....

.....

WHEREAS, I, the undersigned is of the opinion, on the basis of your application dated ....., that you have carried out, owned or occupied the unauthorized development of the building in respect of the ..... premises Tenment No./Flat No./Sub lot No. .... on Khasra No. .... of the Village/T. P. Scheme.

Description of the property :-

.....

Now, therefore in pursuance of the provisions of the section (5) of Chhattisgarh Anadhikrit Vikas Ka Niyamitikan Adhiniyam, 2002 (No. 21 of 2002) you are liable to pay the below mentioned penal amount in respect of such unauthorized development, namely :-

S. No.	Description	Category	Area in sq. mt.	Rates Rs./sq. mt.	Total Amount in Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Unauthorized construction done.	1. Residential 2. Non-Residential 3. Change in land use			

**Note :-** Strike out category whichever is not applicable.

If you are desirous of being heard, you may write to the authority for hearing within a period of one month from the date of receipt of this notice and may represent your case with all relevant records on such date as may be given.

Date .....

Place .....

**Secretary,**  
District Regularisation authority  
District ....."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
SANJAY SHUKLA, Secretary.